भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 222 का उत्तर

तेलंगाना में प्लेटफॉर्म से संबंधित कार्य

***222. डॉ. कडियम काव्य:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्मों से संबंधित ऐसे कार्यों का मंडल-वार और खंड-वार ब्यौरा क्या है जिनकी योजना बनी है, जिन पर कार्य चल रहा है और उनके कमीशन किए जाने का चालू वर्ष में लक्ष्य क्या है;

(ख) नए प्लेटफार्मों के निर्माण, जीपीएस सिंक वाली डिजिटल घड़ियों, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, कोच समरी डिस्प्ले बोर्ड, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, सीसीटीवी, वाई-फाई, एस्केलेटर, पेयजल और वॉशरूम सुविधाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं और विशेषत: दिव्यांग लोगों के लिए की गई विशेष व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 11.12.2024 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 222 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इस योजना में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए, रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंच मार्ग में सुधार, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्मों की सतह तथा प्लेटफॉर्मों पर छत, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुख-सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार स्टेशन भवन में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं जैसे प्रवेश रैंप, सुलभ पार्किंग, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर, सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैंप/लिफ्ट के साथ सब-वे/ऊपरी पैदल पुल, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल साइनेज सहित मानक संकेतक और स्पर्श मार्ग जैसी सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों आदि की व्यवस्था करना, चरणबद्धता तथा व्यवहार्यता एवं दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की परिकल्पना की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से 40 रेलवे स्टेशन तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। तेलंगाना राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों की सूची निम्नानुसार है:-

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
तेलंगाना	40	आदिलाबाद, बसर, बेगमपेट, भद्राचलम रोड, गदवाल, हाफिजपेट, हाई-टेक सिटी, हुप्पुगुडा, हैदराबाद, जदचेरला, जनगांव, काचेगुडा, कामरेड्डी, करीमनगर, काजीपेट जंक्शन, खम्मम, लिंगमपल्ली, मधिरा, महबूबाबाद, महबूबनगर, मलकपेट, मलकाजगिरी, मंचिरयाल, मेडक, मेडचल, मिरयालागुडा, नालगोंडा, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, रामागुंडम, सिकंदराबाद, शादनगर, श्री बाला ब्रह्मेश्वर जोगुलम्बा, तंदूर, उमदानगर, विकाराबाद, वारंगल, यदाद्री, याकूतपुरा, जहीराबाद

चालू वर्ष (2024-25) के दौरान, तेलंगाना राज्य के तीन स्टेशनों अर्थात हाफिजपेट, करीमनगर और महबूबनगर टाउन हाल्ट पर अधिक ऊंचाई वाले यात्री प्लेटफार्मों का निर्माण किया गया है, और 46 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म का कार्य शुरू किया गया है।

वृद्धजनों, बीमार यात्रियों और दिव्यांगजनों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए और प्लेटफार्मों तक आसान पहुंच के लिए, तेलंगाना राज्य में 28 स्टेशनों पर 67 लिफ्ट और 9 स्टेशनों पर 34 एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा, राज्य में 176 स्टेशनों पर जीपीएस

सिंक के साथ डिजिटल घड़ियां लगाई गई हैं, 33 स्टेशनों पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, 183 स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली लगाई गई है और 176 स्टेशनों पर वाईफाई प्रणाली लगाई गई है। साथ ही, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तेलंगाना के 17 स्टेशनों पर 367 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

इसके अलावा, स्टेशनों का विकास/उन्नयन और महिलाओं तथा निशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) के लिए सुविधाओं सहित यात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते समय सुविधाओं की व्यवस्था/उन्नयन के लिए स्टेशन की निचली कोटि की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, अतिलंघन (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

यात्री सुविधाओं और स्टेशन विकास के कार्य सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधि के आबंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है न कि स्टेशन-वार अथवा खंड-वार अथवा राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार। तेलंगाना राज्य दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 हेतु इस क्षेत्र के लिए 789 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

*****